



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1614 सन् 2026

कुसमा देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत महेशपुर और अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गोपाल खरे

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता/उत्तरदातागण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि उत्तरदाता/उत्तरदातागण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं तो इस आदेश में संशोधन/बदलाव की मांग करने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, सिकंदरा, जिला कानपुर देहात को अपील संख्या 3108/2024 (वाद आईडी संख्या टी202403400503108 पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, सिकंदरा, जिला कानपुर देहात उपरोक्त अपील पर विधि के अनुसार सख्ती से और अनावश्यक स्थगन दिए बिना निर्णय लें, जब तक कि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 5, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"